

11/9/23

पञ्जाबी पैसा वकील अग्रणी सं. 1 उप. 1  
वकील वादी अनुपस्थित। उनकी और से अफ. 2  
जुनियद उपस्थित। एकरा नै दिनांक 12.08.22  
को एक एकपक्षीय अंतरिम अस्थायी निर्देशना  
आदेश 39 नियम 3 की पालना की बारी के  
साथ जारी की गई थी जो आदिनांक तक  
नहीं की गई। पूर्व आदेशिका पावा 23 स. 1  
आ स्पष्ट निर्देश दिए गए की अग्रणी  
सं. 1 को दोड़क सभी अग्रणीगण की बली  
परिचै Regd. AD से दिनांक 11.09.23 तक  
पेश हो परन्तु आदिनांक तक व अल  
आ इकत Regd. AD के Notice पेश  
नहीं और न ही वकील वादी/अग्रणी

क्रम	हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाय जो इस हुकम की तारीख जारी हुए
	<p>के जुमियर द्वारा कोई प्रयात कारण उपस्थित किया गया की अपाथीजन के Notice क्या पैरा वही।</p> <p>अतः सिविल प्रक्रिया में हिता के आदेश 9 नियम 5 के तहत प्रार्थना पर खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली केवल शुक्रार ही कर नम्बर से कम है।</p>	

*(Handwritten Signature)*

11/9/23

अपखण्ड अधिकारी, दस्तावेजगार  
सीकर